भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 824
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन क्षेत्र का विकास

824. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागर विमानन क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें विमानपत्तन अवसंरचना का विस्तार, क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि और प्रासंगिक नीतिगत सुधार शामिल हैं;

(ख) अगले दशक में यात्री और माल यातायात में अनुमानित वृद्धि कितनी है और सरकार इस बढ़ती मांग को स्थायी रूप से पूरा करने की किस प्रकार योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने विमानन के पर्यावरणीय प्रभाव का, विशेषकर कार्बन उत्सर्जन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के संदर्भ में, कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है और अगले दस वर्षों में इन उत्सर्जनों का अपेक्षित प्रक्षेप पथ क्या है; और

(ङ) वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) को बढ़ावा देने, कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों और हरित विमानपत्तन प्रथाओं को अपनाने सहित विमानन-संबंधी उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): आईएटीए की जून 2025 की रिपोर्ट 'भारत में विमानन क्षेत्र' के अनुसार, भारत में, भारत से और भारत के भीतर यात्री यातायात में वर्ष 2044 तक सालाना 5.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2034-35 तक हवाई कार्गो थ्रूपुट 5% की सीएजीआर के साथ 5.65 एमएमटी तक पहुंचने की संभावना है। यात्री यातायात और कार्गो की मात्रा में अनुमानित वृद्धि को सहायता प्रदान के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करना, मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत असेवित/ अल्पसेवित हवाईअड्डों का विकास/ पुनरुद्धार और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से मौजूदा और नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 में घोषित अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) दिशानिर्देश पारदर्शिता बढ़ाते हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाईअड्डों पर रॉयल्टी शुल्क को समाप्त करते हैं।

आयातित विमान पुर्जों पर आईजीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि मरम्मत के लिए माल के निर्यात और पुनः आयात की समय-सीमा क्रमशः एक वर्ष और पाँच वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

(ग) और (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन्स क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) प्रस्तुत की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011-2020 के दौरान नागर विमानन क्षेत्र का योगदान 0.59% था। बीयूआर-4 के अनुसार, नागर विमानन क्षेत्र का उत्सर्जन 11.959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (सीओ2ईक्यू) था, जो कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन का 0.40% था।

(ङ): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ के साथ संधारणीय विमानन ईंधन को मिश्रित करने की सिफारिश की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% और वर्ष 2030 तक 5% है। इसके अतिरिक्त, भारत संधारणीय विमानन ईंधन के लिए आईसीएओ के कार्यक्रम से जुड़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन परिचालन से सीओ2 उत्सर्जन को ऑफसेट और सीमित करने में मदद करने के लिए वर्ष 2027 से सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण में भाग लेगा।

भारतीय हवाईअड्डे कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट ज़ीरो की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बेंगलुरु हवाईअड्डे ने उच्चतम स्तर 5 एसीआई कार्बन मान्यता प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाईअड्डे स्तर 4+ पर हैं और कार्बन न्यूट्रल हैं। वर्तमान में, भारत के 88 हवाईअड्डे विमानन क्षेत्र के समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 100% हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

*****